107

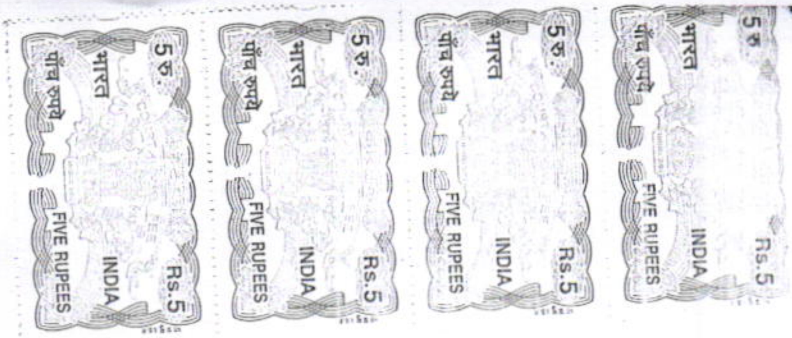

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्य-प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ------------/2016 निगरानी निग -661-II-16

दिनांक 23.2.16 को श्री क्रा० के० दुबे का०अ० द्वारा प्रस्तुत/

23.2.16
50

1. प्रीतम पुत्र मेहरबान सिंह ठाकुर
2. लाखन पुत्र हमीर सिंह
3. राजेश्वरी पत्नि गुलाब सिंह ठाकुर
4. सरका पुत्री गुलाब सिंह ठाकुर

समस्त निवासीगण ग्राम अन्डोरा तहसील इन्दरगढ़ जिला दतियाम.प्र.

---- निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मंगल
2. रामप्रकाश
3. देवीराम

पुत्रगण दयाराम जाति लुहार

निवासीग्राम अन्डोरा तह. इन्दरगढ़ जिला दतिया म.प्र. ---- अनावेदकगण

प्रथम निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 14.7.2015 मंगल रामप्रकाश आदि सीमांकन प्रकरण क्रमांक 30/अ-12/2014-2015 राजस्व निरीक्षक वृत कुदारी तहसील इन्दरगढ़ जिला दतियाम.प्र.

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओरसे निगरानी आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है -

23/2/16

प्रकरण वेसंक्षिप्त तथ्य

1. यहकि निगरानीकर्तागण के स्वामित्व स्वत्व व आधिपत्य की आराजी स्थित ग्राम अन्डोरा सर्वे क्रमांक 147, 147/505 150, 157, 148 भूमिस्वामी होकर काश्तकार है तथा अनावे...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–661–दो/2016 जिला–दतिया

प्रीतम सिंह ठाकुर आदि विरूद्ध मंगल लुहार आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
31–05–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत कुदारी तहसील इन्दरगढ़, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 30/अ–12/2014–15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी दतिया, जिला–दतिया को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 22–07–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 31/5/19 (आर.के. जैन) सदस्य	